


18.06.2024:—वकील वादी उपस्थित वकील वादी द्वारा वाद-पत्र मे कोई कार्यवाही न चाहते हुए not press का अंकन किया अतः वकील वादी द्वारा वाद-पत्र को not press करने पर वाद-पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

